

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)श्रम/67पार्ट-।। जयपुर दिनांक, 4 फरवरी, 2003

आदेश

इस विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं में विभाग के अधिकारियों को क्षतिपूर्ति आयुक्त, प्राधिकारी, नियंत्रक अधिकारी, विहित प्राधिकारी एवं समझौता अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की हुई है ।

श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों के मध्य उनके कार्यक्षेत्र का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है । संबंधित अधिकारी निर्धारित कार्यक्षेत्र में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करने के लिये सक्षम होंगे एवं अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन व औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होंगे । संबंधित अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

क्रम सं०	अधिकारी का पद नाम	निर्धारित कार्यक्षेत्र
1.	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	नगरपालिका अजमेर क्षेत्र
2.	सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	व्यावर एवं मसूदा उपखण्ड व नगरपालिका, अजमेर क्षेत्र को छोड़कर समस्त जिला क्षेत्र
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त, अलवर	नगरपरिषद अलवर क्षेत्र, उपखण्ड तिजारा व बहरोड

4. श्रम कल्याण अधिकारी, अलवर नगर परिषद अलवर, उपखण्ड तिजारा व बहरोड क्षेत्र को छोडकर समस्त अलवर जिला क्षेत्र
5. संयुक्त श्रम आयुक्त बीकानेर नगर परिषद बीकानेर क्षेत्र
6. श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर नगर परिषद बीकानेर क्षेत्र को छोडकर समस्त बीकानेर जिला क्षेत्र
7. संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर नगर निगम जोधपुर क्षेत्र
8. सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर नगर निगम जोधपुर क्षेत्र को छोडकर समस्त जोधपुर जिला क्षेत्र
9. सयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा नगर निगम कोटा क्षेत्र
10. सहायक श्रम आयुक्त, कोटा नगर निगम कोटा क्षेत्र को छोडकर समस्त कोटा जिला क्षेत्र
11. संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर नगर परिषद उदयपुर क्षेत्र
12. सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर नगर परिषद उदयपुर क्षेत्र को छोडकर समस्त उदयपुर जिला क्षेत्र
13. उप श्रम आयुक्त, भरतपुर नगर परिषद भरतपुर क्षेत्र
14. श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर नगर परिषद भरतपुर क्षेत्र को छोडकर समस्त भरतपुर जिला क्षेत्र
15. उप श्रम आयुक्त, भीलवाडा नगर परिषद भीलवाडा क्षेत्र
16. श्रम कल्याण अधिकारी, भीलवाडा नगर परिषद भीलवाडा क्षेत्र को छोडकर समस्त भीलवाडा जिला क्षेत्र
17. उप श्रम आयुक्त, श्री गंगानगर नगर परिषद श्री गंगानगर क्षेत्र
18. श्रम कल्याण अधिकारी, नगर परिषद श्री गंगानगर क्षेत्र को

- श्री गंगानगर
- छोडकर समस्त श्री गंगानगर जिला क्षेत्र
19. उप श्रम आयुक्त, सिरौही नगर पालिका सिरौही एवं आबूरोड औद्योगिक क्षेत्र
20. श्रम कल्याण अधिकारी, सिरौही नगरपालिका सिरौही एवं आबूरोड औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर समस्त सिरौही जिला क्षेत्र
21. संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27. 11.2002 के द्वारा कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है ।
22. सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27. 11.2002 के द्वारा कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है ।

ह0/—

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: एफ.1(1)श्रम/67पार्ट— ।। जयपुर दिनांक, 4 फरवरी, 2003
प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर ।
2. व0 निजी सहायक, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर ।
3. संयुक्त श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त
4. श्रम कल्याण अधिकारी
5. गार्ड पत्रावली ।

ह0/—

अतिरिक्त श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।

**Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Labour/Shram Mantralaya**

17th April, 2002

To,

All Chief Secretaries/
Labour Secretaries of State Governments/Uts.

Sub: Notification No. S.O.556(E) dated 3.07.1998,
issued by the Ministry of Labour in relation to all the
CPSUs and its subsidiaries, Corporations and
autonomous bodies specified in the Schedule annexed
to the Notification-clarification regarding.

Sir,

Attention is invited to Notification No. S.O.556(E) dated 3.07.1998 issued by Ministry of Labour (copy enclosed) by which the Central Government have delegated the powers of appropriate Government under the ID Act, 1947 to the State Government for the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) and subsidiaries, Corporations and autonomous bodies specified in the schedule annexure to the and notification in accordance with the judgment dated 6.10.1996 of the Hon'ble Supreme Court in the Air-India Statutory Corporation of India Vs. United Labour Union.

2. It is now clarified that in accordance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6009/2001-Steel

Authority of India Ltd., & Others Vs. National Union Water Front Workers & Others dated 30.8.2001, the powers of the appropriate Government except under Section 25L(b) of the ID Act, 1947 will be vested with the State Governments for the CPSUs and its subsidiaries/Corporations specified from Sl. Nos. 1 to 126 in the schedule annexed to the said notification. For autonomous institutional bodies specified at Sl. Nos. 127 to 129 in the schedule annexed to the said notification, the State Governments concerned will also continue to be the appropriate Government under the ID Act, 1947.

Yours faithfully,

Sd/-

(PADMA BALASUBHAMANIAN)
JOINT SECRETARY

3.10 श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना, 3 जुलाई, 1998

का.आ. 558 (अ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनकी अनुषंगी कम्पनियों, निगमों और स्वायत्तशासी निकायों के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार जब कभी यह आवश्यक समझे कि उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभी शक्तियों को प्रयोग करेगी ।

क.सं. केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान क्षेत्र, निगम तथा स्वायत्त निकाय

1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर ।
2. एन्ड्रल यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।
3. अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर ।
4. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड, कानपुर ।
5. बंगाल कैमीकल्स तथा फार्मेसिटीकल लिमिटेड, कलकत्ता ।
6. बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता ।
7. भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली (खानों को छोड़कर)
8. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।

9. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ।
10. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर ।
11. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलोर ।
12. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।
13. भारत इन्फ्रानालोजिकल्स एण्ड बायलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर ।
14. भारत लैडर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आगरा ।
15. भारत ओपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर ।
16. भारत रिफरेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी (खानों के अलावा)
17. भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहबाद ।
18. बाको लारी लिमिटेड, कलकत्ता ।
19. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर ।
20. कम्प्यूटर मॅटीनेन्स कॉरपोरेशन (सी.एम.सी.) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
21. सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद ।
22. सेन्ट्रल इलेन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता ।
23. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमनूर (कोचीन) ।
24. कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
25. भारतीय कॉटन निगम लिमिटेड, मुम्बई ।
26. भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।
27. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम ।
28. एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
29. इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ।

30. इलैक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी (ई.टी.एण्डटी.) डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।
31. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
32. इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
33. भारतीय खाद निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
34. फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड, कोचीन ।
35. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
36. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ।
37. हिन्दुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड, बंगलोर ।
38. हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हेंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
39. भारी यांत्रिका निगम लिमिटेड, रांची ।
40. हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलोर ।
41. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे ।
42. हिन्दुस्तान कैबिल लिमिटेड, कलकत्ता ।
43. हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
44. हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
45. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई ।
46. भवन तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
47. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
48. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली ।
49. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसिकल् कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव ।

50. इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मेसिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोडा ।
51. इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडौदरा ।
52. इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली ।
53. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
54. हिन्दुस्तान खाद निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
55. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाईड्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।
56. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम ।
57. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रायगढ (महाराष्ट्र) ।
58. हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।
59. हिन्दुस्तान फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटाकामंड (तमिलनाडु) ।
60. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली ।
61. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर ।
62. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम ।
63. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
64. हिन्दुस्तान टेलप्रिटर्स लिमिटेड, (एच.टी.एल.) चेन्नई ।
65. हिन्दुस्तान वेजीटेबल्स आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।
66. इंडियन रेनुएबुल एनर्जी डवलपमेन्ट्स एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली ।
67. भारतीय सडक निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली ।
68. भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.) लिमिटेड, बंगलोर ।
69. इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (राजस्थान) ।
70. भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।

71. मद्रास उर्वरक लिमिटेड, चेन्नई ।
72. मजगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई ।
73. मेटेल स्क्वेप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम.एस.टी.सी.) लिमिटेड, कलकत्ता ।
74. मेटेलर्जीकल एंड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दी (रांची) ।
75. भारतीय धातु एवं खनिज निगम (एम.एम.टी.सी.) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
76. माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर ।
77. मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदाराबाद ।
78. मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
79. राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली ।
80. भारतीय राष्ट्रीय बाईकिल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
81. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
82. राष्ट्रीय फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।
83. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई ।
84. नथपा झाकरी पावर निगम लिमिटेड, शिमला ।
85. राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनउ ।
86. राष्ट्रीय हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद, हरियाणा ।
87. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
88. राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड, कलकत्ता ।
89. राष्ट्रीय जूट निर्माण लिमिटेड, कलकत्ता ।
90. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली ।
91. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली ।

92. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली ।
93. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
94. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
95. राष्ट्रीय कपडा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
96. राष्ट्रीय थरमल पावर निगम (एन.टी.पी.सी.) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
97. राष्ट्रीय न्यूनपिंट एवं पेपर मिल्स (एन.ई.पी.ए.) लिमिटेड, नेपा नगर, (मध्यप्रदेश) ।
98. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, शिलांग ।
99. उत्तर पूर्वी विद्युत पावर निगम लिमिटेड, शिलांग ।
100. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बाजार निगम, गोहाटी ।
101. पैरादीप फासफेट लिमिटेड, भुवनेश्वर ।
102. पावर वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
103. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
104. भारतीय परियोजना एवं विकास लिमिटेड, सिन्दरी ।
105. पाइराइट्स फासफेट्स एवं कैमिकल लिमिटेड, नोयडा (यू.पी.) (खानों के अतिरिक्त) ।
106. भारतीय रेल तकनीकी और आर्थिक सेवायें लिमिटेड, नई दिल्ली ।
107. राष्ट्रीय कैमिकल्स एवं फर्नीचर लिमिटेड, मुम्बई ।
108. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम ।
109. राष्ट्रीय परियोजना विनिर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
110. पुनर्वास/औद्योगिक निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।
111. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
112. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ।

113. सेमिकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, चंडीगढ ।
114. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फर्मोसिटीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
115. स्पाईसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर ।
116. स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ।
117. स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
118. भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली ।
119. भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (खानों के अलावा) ।
120. भारतीय चर्मशोधक एवं फुटवियर निगम लिमिटेड, कानपुर ।
121. टिहरी हाईड्रो विकास निगम लिमिटेड, नोएडा (यू.पी.) ।
122. दूरसंचार परामर्शदाता (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
123. भारतीय टायर निगम लिमिटेड, कलकत्ता ।
124. जल एवं विद्युत विचार विमर्श सेवायें (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
125. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास अनगम, नई दिल्ली ।
126. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद ।
127. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
128. नई दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली ।
129. दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।

सं. एस.-11025 / 6 / 97-आईआर.(पी.एल.)

ह0 / -
पदमा बाला सुब्रामनियम,
संयुक्त सचिव ।